संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी का आदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प संख्या 1/20012/1/87-रा.भा. (क-1) की प्रति

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। धारा 4(2) के अधीन इस समिति में बीस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा से नियुक्त किए गए। समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम खंड राष्ट्रपति को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रशिक्षण, संदर्भ और संपूरक साहित्य के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन का प्रथम खंड अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार तारीख 8 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा इसकी प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से था, अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई।

2. राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :–

(क) शेष अनुवाद कार्य को पूरा करना

(1) फार्मों का अनुवाद, मुद्रण और प्रयोग

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की उपधारा 3(3) (iii) के अंतर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिंदी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें या भरे जा सकें।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

(2) कोडों और मैनुअलों आदि के अनुवाद के लिए समय-सीमा का निर्धारण

समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन कोडों, मैनुअलों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है, उनके अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए जिससे यह कार्य 1987 के अंत तक पूरा हो जाए।

समिति द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शेष अनुवाद कार्य की मात्रा को दखते हुए रेल मंत्रलय, संचार मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद के लिए शेष अपने काडों, मैनुअलों आदि का तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के अनूदित न हुए कोडों और मैनुअलों के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 के अंत तक पूरा किया जाए। रक्षा मंत्रालय में चूंकि अनुवाद के लिए शेष कोडों और मैनुअलों की संख्या बहुत अधिक है, अतः रक्षा मंत्रालय इस कार्य को वर्ष 1994-95 के अंत तक पूरा करे।

(3) विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनुवाद का कार्य

(i) समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/निर्णय पुस्तकों, प्रिवी काउंसिल (1837–1950), फेडरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950–1968) द्वारा किए गए निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीघ्र किया जाए तथा इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।

इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जो निर्णय अब प्रासंगिक नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिनका सार देने से काम चल सकता है, उनका सार मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाए। अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे।

(ii) संसदीय विधियों का हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा-II के अनुसरण में संसदीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कार्य के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

2493 HA/06—2A

संसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य विधायी विभाग के राजभाषा खंड में पहले ही किया जा रहा है । जहां तक विधेयकों का संबंध है, सरकारी विधेयकों के अनुवाद का कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खंड करेगा । प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के हिंदी अनुवाद का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय करेगा । प्रारम्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का काम भी विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे । बाद में इसे लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है ।

(iii) राज्यों के अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अनुसरण में राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ।

राज्यों के अधिनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने का काम राज्य सरकारों का है । इस सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए ।

(4) प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद

समिति ने प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण सामग्री का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अग्रता के आधार पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इस कार्य को समयबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

(5) प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के लिए व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडों/मैनुअलों/फार्मों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए । यह काम इस समय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर संचार विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है । समिति ने सिफारिश की है कि वहीं पर यह कार्य किया जाता रहे तथा उन्हें इसके लिए उपयुक्त स्तर के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । संबंधित मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(6) द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत् रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की द्विभाषिकता की नीति के सफल संचालन के लिए लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति संबंधी कार्यान्वयन का कार्य भी पिछड़ने न पाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(7) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए अनुवाद व्यवस्था

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों आदि के देश-विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है, वहां भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो-जो कार्य द्विभाषिक रूप में किए जाने हैं उन्हें द्विभाषिक रूप में ही किया जाए और इसके लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(8) उपक्रमों के विधि साहित्य का अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि विधायी विभाग के राजभाषा खंड को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाए कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली-भाँति वहन कर सके ।

इस सिफारिश पर विचार किया गया । विधायी विभाग का राजभाषा खंड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है । बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए । विधायी विभाग का राजभाषा खंड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा । छोटे उपक्रमों, जिनके लिए यह व्यवस्था स्वयं करना व्यवहारिक न हो, के लिए उचित व्यवस्था का प्रबन्ध उद्योग मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो, स्टेडिंग कन्फ्रेंस आन पब्लिक इंटरप्राइजिज (स्कोप) के माध्यम से या किसी और प्रकार से करने का प्रयत्न करे ।

(9) अनुवाद संबंधी पदों का सृजन

समिति ने सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों/विभागों आदि को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है वहां इसके लिए अनुवादक आदि की नियुक्ति करें। इसके लिए किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था उपलबध कराई जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हैं उनमें भी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदेय के आधार पर अनुवाद का प्रबन्ध करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(10) अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना

विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए। इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी अंग्रेजी तथा हिंदी में उच्च प्रवीणता होने पर, विभिन्न राजसेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किए जा सकें।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(11) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित करना

समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए, जहां यह संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ग) कोडों, मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन और वितरण ।

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषिक निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(12) द्विभाषिक रूप में निर्माण तथा संशोधन

(i) कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य के हिंदी और अंग्रेजी पाठ साथ-साथ तैयार कराए जाएं तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ-साथ हो ।

(ii) **द्विभाषिक रूप में मुद्रण तथा प्रकाशन**

अब तक अनूदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड, मैनुअल और फार्म, हिंदी अनुवाद उपलब्ध होने पर, द्विभाषी रूप में तुरन्त मुद्रित/प्रकाशित किए जाएं । मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया जाए । यदि इनके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गम्भीरता से लिया जाए ।

(iii) **द्विभाषिक रूप में वितरण**

कोड, मैनुअल, अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन मंत्रालयों/विभागों आदि के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों आदि में जहां भी उनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध करवाए जाएं ।

(iv) **समन्वय अधिकारी की नियुक्ति**

मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों/मैनुअलों/फार्मों और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए ।

उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें ।

(घ) अनुवाद प्रशिक्षण

(13) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है । इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कर्मियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए । इसके लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी । जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए । इसके लिए आवश्यकतानुसार कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र तदर्थ आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए ।

जहां तक प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अनुवादकों को 1988 के अन्त तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं है । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे । अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाए ।

(14) विधिक सामग्री के अनुवाद के लिए प्रशिक्षण

समिति ने विधिक अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में यह सिफारिश की है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनुवादकों का स्तर सुधारने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा स्वयं विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करे ।

(15) अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण

समिति ने अनुवादकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवादकों का ज्ञान तथा अनुवाद स्तर बनाए रखने के लिए अनुवाद कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के पांच साल बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे ।

(16) हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिंदी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/कार्यालयों आदि में सभी स्तरों पर एक अत्यन्त कुशल, सुचारु एवं फुर्तीली अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध हो सके ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे ।

(17) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण

समिति के विचार में अनुवाद कर्मियों के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किए जाने पर नए विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है । उसने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थिति और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिए उस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि का यह प्रशिक्षण विभागीय रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(ङ) मानक शब्दावली का निर्माण

(18) समिति ने शब्दावली निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है :–

(i) नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना

शब्दावली आयोग 1970 के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में आए हजारों नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करने का काम तत्काल अपने हाथ में ले और अपने शब्द ग्रंथों को अद्यतन बनाने की दिशा में कदम उठाए ।

(ii) शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा

समय-समय पर इन शब्दावलियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन बनाने के लिए इनमें विज्ञान की नई खोजों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार नई अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त नए शब्द जोड़े जाने चाहिए ।

(iii) निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना

विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह कार्य 1988 तक पूरा कर लिया जाए ।

(iv) उच्चस्तरीय समिति का गठन

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान तत्काल भर लिए जाएं तथा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए जो शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करे ।

ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । इनके संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपेक्षित कार्रवाई करे । विधि शब्दावली की पुनरीक्षा के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खंड अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(च) मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण

(19) समिति ने मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(i) मानक हिंदी पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित करना

मानक शब्दावलियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिए जो हिंदी पर्याय दिए गए हैं अथवा दिए जाएंगे, उनका ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे राजभाषा का मानक रूप उभर कर आए ।

(ii) प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग में उनके ज्ञान का विस्तार हो और उनकी भाषायी क्षमता बढ़ सके ।

(iii) अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान

अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाए और सभी आधारभूत शब्दों की सूचियां तैयार कर अहिंदी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तक मंडलों को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग से शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।

(iv) शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों का अनुकूलन

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में उपयुक्त एजेंसियां स्थापित की जाएं ताकि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य में शब्दावली की अभीष्ट एकरूपता स्थापित हो सके ।

(v) अध्ययन-अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग

शब्दावली निर्माण में लगे अभिकरण विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा प्राध्यापकों को भेजे और राज्यों में जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें, जिससे वे नवनिर्मित शब्दों से परिचित हो सकें और अध्ययन-अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सके । ग्रन्थ अकादमियों तथा सरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी इस ओर अधिकाधिक ध्यान देना होगा ।

(vi) कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना

हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें ।

(vii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन

सरकारी स्तर पर हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं । इस क्षेत्र में निजी प्रकाशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए । इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त यह हो कि इनमें प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए ।

(viii) केन्द्रीय सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा निर्मित विधि, विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों का केन्द्रीय सरकार के कामकाज में जिसमें कि आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण भी शामिल है, समुचित प्रयोग किया जाए ।

(ix) शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दाली आयोग और विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित शब्दावलियां सभी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं ।

(x) शिक्षा से सम्बन्धित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना

शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों आदि को भी वर्तमान और भविष्य में निर्मित की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि वे विभिन्न विषयों के लिए हिंदी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री में उसका यथासम्भव व्यवहार सुनिश्चित करें । इसी प्रकार का अनुरोध ग्रन्थ अकादमियों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी प्रकाशकों से भी किया जा सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों में इन शब्दावलियों का ही यथासम्भव प्रयोग करें ।

(xi) शब्दावली बैंक की स्थापना

विधि, विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरन्त किया जाए । यह कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा जा सकता है ।

(xii) विधि शब्दावली का न्यायालयों में वितरण

विधायी विभाग द्वारा निर्मित विधि शब्दावली का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां देश भर में फैले ऐसे न्यायालयों में भी, जहां हिंदी का प्रयोग किए जाने की सम्भावना हो, निःशुल्क अथवा कम मूल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए ।

(xiii) विधि की पाठ्य पुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग

हिंदी माध्यम विधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी, चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हों अथवा हिंदी में मूलतः लिखी जाएं, प्राधिकृत विधि शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है ।

(xiv) विधि शब्दावली का वितरण

विधायी विभाग विधि शब्दावली की अनेकानेक प्रतियां छपवाकर इसके वितरण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसका प्रयोग तथा भाषा में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके ।

उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । मानक शब्दावली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं, जिसका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त (vi) के बारे में भी निर्देश राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाएं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार-प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पुस्तक प्रकाशन में उसके प्रयोग, शब्दावली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों में उल्लिखित कार्रवाई शिक्षा विभाग करे ।

इसी प्रकार विधि शब्दावली के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय का राजभाषा खंड करे ।

(छ) मूल प्रारूपण

(20) विधि प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग

(i) विधि क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिंदी में लिखे जाएं ।

(ii) कोड, मैनुअलों इत्यादि के मूल प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग ।

भविष्य में नए कोड, मैनुअल आदि का सृजन मूल रूप से हिंदी में किया जाए ।

ये सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई हैं । यद्यपि अभी इन पर पूरी तरह अमल करना सम्भव नहीं होगा, फिर भी इसके लिए, यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए । विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण के बारे में विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे ।

जहां तक कोडों, मैनुअलों का सृजन मूल रूप से हिंदी में किए जाने का सम्बन्ध है, राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(ज) शिक्षा के क्षेत्र से सम्बधित अन्य सिफारिशें

(21) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अद्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान-विज्ञान का आवश्यकतानुसार हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए ।

सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर कराया जाए ।

तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(22) ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए सन्दर्भ ग्रन्थों और सम्पूरक साहित्य का सृजन

समिति ने ज्ञान-विज्ञान के श्रेष्ठतम साहित्य को छात्र-वर्ग और आम आदमी तक पहुंचाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, परिभाषा कोष, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें, सन्दर्भ ग्रन्थ और सम्पूरक का सृजन किया जाए तथा हिंदी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए ।

(23) हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार

समिति ने हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे में यह सिफारिश की है कि हिंदी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(24) उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम

समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए ।

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करें ।

(25) सन्दर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए । इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं । इस प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण एवं कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग इस बारे में अपेक्षित अनुदेश जारी करे ।

(झ) विधि के क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य सिफारिशें

(26) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाएं ।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विधायी विभाग इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करे ।

(27) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिंदी पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में व्यवस्था नहीं की गई है और सिफारिश की है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए ।

यह दायित्व दिल्ली प्रशासन का है । आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दिया जाए ।

(ञ) अनुवाद की भाषा का स्वरूप

(28) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उसी स्वरूप को अपनाया जाना भारत की अखण्डता तथा एकता के हित में है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ।

(ट) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम का अनुपालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

(29) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे । अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करे ।

यह सिफारिश इस संशोधित रूप में स्वीकार की गई है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाए, पर साथ ही नियमों और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाए । राजभाषा विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं । मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(ठ) समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना

(30) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 11.1.2 में किया गया है, समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिस पर समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेजकर समिति की उपेक्षा की है । इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाए तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए । इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए ।

राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश के अनुसार यथोचित कार्यवाई करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी करें।

(ङ) राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशें

(31) न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है न्यायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में दे सकें। विधि शब्दावली का उन्हें ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना काम राज्य की राजभाषा में कर सकें।

इस सिफरिश का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(32) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम करना

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों और अधिवक्ताओं को ये निर्देश दें की वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें ताकि बाद में चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके। यह भी अनिवार्य कर दिया जाए कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्ततोगत्वा यह कार्य पूरा-पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके।

इस सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएं।

(33) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि राज्य की भाषा में पारित करना

समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय, डिक्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें।

इस सिफारिश का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(34) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन है। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा :--

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.7 में उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था के बारे में सिफारिश।

ह./-

(शम्भु दयाल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

2493 HA/06---4A